न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 480/2022

वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रीतम सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)

\- वादी

बनाम्

1. पाल कौर पत्नी स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
2. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
3. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
5. चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब) द्वारा मुख्त्यारे आम हरपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी लंगेआना नंवा तहसील बाघा पुराना जिला मोगा(पंजाब)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

\- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 14.10.2022

वादी प्रीतम सिंह ने प्रतिवादीगण पाल कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 वादी की बहिने है जो कि एक ही परिवार के सदस्य है। वादी की दादी प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी की बहिन प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.1686 है. कृषि भूमि

लगातार --2

14/10/22
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

तथा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0423 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रुप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

(क) वादी प्रीतम सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)

तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.1686 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0423 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 5 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से

14/10/22

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --3

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी की दादी प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी की बहिन प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.1686 है. कृषि भूमि तथा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0423 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विरासतन साक्ष्य के तौर पर तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 एवं तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति का जवाब दावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

14/10/22
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --4

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी जरिये वादी प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी की बहिन प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.1686 है. कृषि भूमि का तथा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0423 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 5 का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),

संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 480/2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रीतम सिंह पुत्र स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)

- वादी

बनाम्

1. पाल कौर पत्नी स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
2. जसविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
3. सर्वजीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
4. कुलविन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब)
5. चरणजीत कौर पुत्री स्व. श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व. श्री जबर सिंह जाति जटसिख निवासी भागपुर गंगड़ा तहसील धर्मकोट जिला मोगा(पंजाब) द्वारा मुख्त्यारे आम हरपाल सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी लंगेआना नंवा तहसील बाघा पुराना जिला मोगा(पंजाब)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.</u>

दिनांक :- 14.10.2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादीया मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक बंटवारा वादी की दादी प्रतिवादी सं. 1 एवं वादी की बहिन प्रतिवादी सं. 5 के नाम से तहसील संगरिया के

14/10

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --2

चक 8 एम.जे.डी. के खाता सं. 119/27 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 0.1686 है. कृषि भूमि का तथा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/18 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0423 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 5 का नाम कलमजन किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नोट - यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X......निल ......X...... बाबत् ......X......
निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 14-10-2022 को जारी किया जाता है।

14/10/22

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया